अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमाक एफ.4 ( ) परावि/पी.सी./जजयो बजट/11.12/256 जयपुर दिनांकः– 4.3.13

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः– जनता जल योजनाओं के संचालन एवं अशंकालीन पम्प चालकों को समय पर पारिश्रमिक भुगतान व्यवस्था बाबत।

ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के माध्यम से संचालित 19386 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं यथा पाईप्ड योजना, पम्प व टेंक, जनता जल योजना, पारम्परिक स्रोत्र/पनघट जल योजना, स्वजल धारा योजना, सेक्टर रिफोर्म आदि में से मात्र 6316 जनता जल योजनाओं के संचालन हेतु राशि अब इस विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

जनता जल योजनाओ के संचालन हेतु विभागीय स्वीकृति दिनांक 19.12.12 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दिशा–निर्देशानुसार मजदूरी (रूपये 851.28 लाख), विद्युत (रूपये 3527.79 लाख), एवं अनुरक्षण व्यय (रूपये 378.96 लाख), हेतु देय कुल आवश्यक राशि 4758.03 लाख संबंधित पंचायत समिति को पीडी खाते के माध्यम से आवंटन की जा चुकी है। विद्युत व्यय हेतु आवंटित राशि में संबंधित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से प्राप्त अगस्त 2012 तक की बकाया देयता राशि 19.21 करोड एवं शेष अवधि 31 मार्च 2013 तक की गणना 6.50 रूपये प्रति युनिट की दर पर गणना कर तदनुसार आवश्यक कुल राशि 3527.79 लाख आवंटित किये गये है।

उक्तानुसार योजनान्तर्गत आवश्यक राशि पंचायत समितियों को आवंटित करने एवं समय–समय पर जिला परिषदों को आवश्यक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय में इन योजनाओं मे कार्यरत अंशकालीन श्रमिकों (पम्प चालकों) को पारिश्रमिक का समय पर भुगतान नही होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनता जल योजनाओं में कार्यरत अशंकालीन श्रमिकों (पम्पचालकों) के संबंध में दायर प्रकरण एस.एल.पी. न0 3517/2013 के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 18.02.2013 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में दायर अवमानना याचिका सख्या 1481/2012 में दिनांक 19.02.2013 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की

पालना में जारी विभागीय आदेश 197 दिनांक 26.2.13 अनुसार जनता जल योजनाओं में कार्यरत अंशकालिन पम्प चालकों को दिनांक 1 फरवरी 2013 से प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर का 50 प्रतिशत राशि रूपये 83/– प्रतिदिन के आधार पर भुगतान किया जावेगा। इस क्रम में आवश्यक अतिरिक्त राशि शीघ्र ही पंचायत समितियों के पीडी खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

अतः आप इन योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं इनमें कार्यरत अशंकालीन श्रमिकों (पम्प चालकों) को पारिश्रमिक समय पर भुगतान की व्यवस्था करने बाबत व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा कर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. संचालित जनता जल योजनाओं की संख्या के आधार पर अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालको) की मजदूरी हेतु पंचायत समितियों को आवंटित राशि 3 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत के खातों में हस्तान्तरित करावे।
2. अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालको) के बकाया पारिश्रमिक का ग्राम पंचायतों से अविलम्ब भुगतान कराकर इनको नियमित रूप से पारिश्रमिक भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
3. माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालना में अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालको) को विभागीय आदेश अनुसार 1 फरवरी 2013 से राशि 83/– रूपये प्रतिदिवस के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करावे।
4. जिन जनता जल योजनाओं के स्रोत्र बन्द हो गये है अथवा जिनका पानी पीने योग्य नहीं है उन स्रोत्रों के बारे में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के स्तर पर समीक्षा कराई जावे।
5. विभाग के माध्यम से केवल जनता जल योजनाओं की विद्युत व्यय की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, परन्तु पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर जनता जल योजनाओं की विद्युत विभाग के पास नामजद सूची नही होने के कारण बकाया विद्युत देयता में विसंगति की स्थिति है। इसे तथाकथित विसंगति न समझकर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा दी गई नामजद सूची को ही अधिकृत माना जा कर तदनुसार जनता जल योजना के विद्युत प्रभारों का ही भुगतान कराया जावे।

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
8. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
9. उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
12. प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 4 ( )पराविं/पी.सी./ज.ज.यो. बजट/11–12/ 251 जयपुर दिनांक 4.3.13

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या =37 /2012–13)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. न0 3517/2013 के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 18.02.2013 की पालना में पंचायत समितियो के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में जनता जल योजनान्तर्गत कार्यरत अंशकालीन श्रमिकों (पम्प चालको) को माह फरवरी 2013 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर की 50 प्रतिशत राशि की दर से पारिश्रमिक भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि रूपये 9392456 (अक्षरे रूपये तिरानवे लाख बानवे हजार चार सौ छप्पन मात्र) संलग्न सारणी अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकित राशि हस्तान्तरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:–

मांग संख्या – 41
2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
197– ब्लॉक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(09)– तदर्थ सहायता
[03]– जनता जल योजनान्तर्गत संधारण
02– मजदूरी **राशि रूपये 93,92456** (अक्षरे रूपये तिरानवे लाख बानवे हजार चार सौ छप्पन मात्र)
(आयोजना भिन्न) (संलग्न सारणी के अनुसार)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300167 दिनांक 1.3.13 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। योजनान्तर्गत अंशकालीन पम्प चालकों को पारिश्रमिक का भुगतान प्रचलित न्युनतम मजदूरी दर (वर्तमान दर रूपये 166 प्रतिदिन) की 50 प्रतिशत राशि के आधार पर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करावे।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि को संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश जारी करने का श्रम करावें।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग राजस्थान जयपुर ।
4. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पंराज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
6. निजि सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार , पंचायती राज विभाग।
8. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय/ सहायक विधि परामर्शी, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
9. मुख्य /अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ लेखाधिकारी जिला परिषद समस्त को भेज कर लेख है कि अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालकों) के मजदूरी पेटे आवंटित राशि 3 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कराकर अंशकालीन श्रमिकों की मजदूरी का समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (संबंधित) को भेजकर निर्देश है कि आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें तथा अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालकों) के मजदूरी पेटे आवंटित राशि 3 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर इनकी 1 फरवरी 2013 से राशि रूपये 83.00 प्रतिदिन की दर से मजदूरी का प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान कराना सुनिश्चित करे।
11. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. अंक मिलान/सांख्यिकी शाखा/रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.) 5/3/13

G:\SANCTIONS.docx

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.4(233)वित्त–1(1)आ.व्यय/2010/ जयपुर, दिनांक : 11-02-2013

संबधित कोषाधिकारी,

राजस्थान !

(बीकानेर एवं जैसलमेर को छोड कर)

<u>(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या – 808 /2012–13)</u>

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं के लिए जनता जल योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की राशि का पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 ( ) पराबि/पी.सी./ज.ज.यो. बजट/2011–12/251 दि0 4.3.13 के साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रू. 9392456 /–(अक्षरे राशि रू. तिरानवे लाख बानवे हजार चार सौ छप्पन मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:–

–:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–

बजट मद

<u>मांग संख्या – 41</u>

2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197– ब्लॉक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(09)– तदर्थ सहायता

[03]– जनता जल योजनान्तर्गत संधारण

02– मजदूरी राशि रूपये **9392456** /– (अक्षरे राशि रू. तिरानवे लाख बनावे हजार चार सौ छप्पन मात्र)

(आयोजना भिन्न) (संलग्न सारणी के अनुसार)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चो के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भवदीय

06.03.13

(सुधीर शर्मा)

संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान (बीकानेर एवं जैसलमेर जिले को छोड कर)
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान (बीकानेर एवं जैसलमेर जिले को छोड कर)
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)

जनता जल योजनाओ की राशि का कोषालयवार आवंटन दिनांक 27.2.13

क सं.	कोषालय	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	ग्रामों की संख्या	2515-197-(09)-[03]-02-मजदूरी (आयोजना भिन्न)
1	3	4	5	6
1	AJMER	38		50312
2	BEWAR	15		19860
3	ALWAR	208		275392
4	BARAN	56		74144
5	BANSWARA	36		47664
6	BARMER	409		541516
7	BHARATPUR	202		267448
8	BHILWARA	243		321732
9	BUNDI	68		90032
10	CHITTORGARH	162		214488
11	CHURU	75		99300
12	DAUSA	71		94004
13	DHOLPUR	24		31776
14	DUNGARPUR	30		39720
15	HANUMANGARH	3		3972
16	GANGANAGAR	347	1125	1489500
17	JAIPUR RURAL	335		443540
18	JAIPUR CITY	5		6620
19	JALORE	13		17212
20	JHALAWAR	80		105920
21	JHUNJHUNU	620		820880
22	JOHDPUR CITY	9		11916
23	JOHDPUR RURAL	1249		1653676
24	KARAULI	216		285984
25	KOTA	30		39720
26	NAGAUR	589		779836
27	PALI	215		284660
28	RAJSAMAND	104		137696
29	SAWAI MADHOPUR	79		104596
30	SIKAR	419		554756
31	SIROHI	82		108568
32	TONK	78		103272
33	UDAIPUR	163		215812
34	PRATAPGARH	43		56932
	Total	6316	1125	9392456

जनता जल योजनाओ की राशि का जिलेवार/ पंचायत समितिवार आवंटन दिनांक 27.2.13

क.सं.	जिला	कोषालय	पंचायत समिति	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	ग्रामों की संख्या	2515-197-(09)-[03]-02-मजदूरी (आयोजना भिन्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	AJMER	AJMER	SRINAGAR	3		3972
			PISANGAN	10		13240
			BHINAI	15		19860
			KISHANGARH	5		6620
			ARAIN	5		6620
				38		**50312**
		BEWAR	JAWAJA	4		5296
			MASUDA	11		14564
				15		**19860**
2	ALWAR	ALWAR	KISHANGARHBAS	19		25156
			KOTKASIM	25		33100
			RAJGARH	2		2648
			UMREN	10		13240
			LAXMANGARH	2		2648
			TIJARA	21		27804
			KATHUMAR	2		2648
			MUNDAWAR	45		59580
			RAMGARH	16		21184
			BEHROR	12		15888
			NEEMRANA	8		10592
			BANSOOR	8		10592
			THANGAZI	35		46340
			RENI	3		3972
				208		**275392**
3	BARAN	BARAN	ANTA	14		18536
			ATRU	6		7944
			SHAHBAD	18		23832
			CHHIPABADOD	8		10592
			CHHABRA	7		9268
			KISHANGANJ	3		3972
				56		**74144**
4	BANSWARA	BANSWARA	GADHI	3		3972
			KUSAHLGARH	1		1324
			SAJJANGARH	1		1324
			BAGIDORA	7		9268
			BHUKHIYA/ ANANDPURI	5		6620
			GHATOL	12		15888
			CHHOTI SARVAN	1		1324
			BANSWARA	6		7944
				36		**47664**
5	BARMER	BARMER	SIWANA	21		27804
			SHIV	4		5296
			BALOTARA	37		48988
			CHOUHTAN	124		164176
			DHORIMANNA	120		158880
			BARMER	83		109892
			SINDHARI	20		26480

क्र.सं.	जिला	कोषालय	पंचायत समिति	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	ग्रामों की संख्या	2515-197-(09)-[03]-02-मजदूरी (आयोजना भिन्न)
1	2	3	4	5	6	7
				409		**541516**
6	BHARATPUR	BHARATPUR	DEEG	8		10592
			NAGAR PAHADI	3		3972
			KAMAN	47		62228
			BAIR	22		29128
			BAYANA	43		56932
			ROOPWAS	16		21184
			NADBAI	40		52960
			SEWAR	18		23832
			KUMHER	5		6620
				202		**267448**
7	BHILWARA	BHILWARA	MANDALGARH	29		38396
			SHAHPURA	23		30452
			SUWANA	34		45016
			MANDAL	41		54284
			ASIND	20		26480
			HURDA	9		11916
			BANEDA	18		23832
			JAHAJPUR	11		14564
			RAIPUR	20		26480
			KOTRI	25		33100
			SAHADA	13		17212
				243		**321732**
9	BUNDI	BUNDI	TALEDA	14		18536
			HINDOLI	10		13240
			NAINWA	11		14564
			KESHORAIPATAN	33		43692
			BUNDI	0		0
				68		**90032**
10	CHITTORGARH	CHITTORGARH	BENGU	10		13240
			CHITTORGARH	32		42368
			RASHMI	14		18536
			KAPASAN	8		10592
			NIMBAHEDA	51		67524
			BHADESAR	8		10592
			DUNGLA	8		10592
			BHAINSROADGARH	6		7944
			BADI SADARI	9		11916
			BHOPALSAGAR	3		3972
			GANGRAR	13		17212
				162		**214488**
11	CHURU	CHURU	RATANGARH	38		50312
			SARDAR SAHAR	14		18536
			CHURU	14		18536
			SUJANGARH	9		11916
				75		**99300**
12	DAUSA	DAUSA	MAHUWA	30		39720
			BANDIKUI	8		10592
			LALSOT	16		21184

क्र.सं.	जिला	कोषालय	पंचायत समिति	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	ग्रामों की संख्या	2515-197-(09)-[03]-02-मजदूरी (आयोजना भिन्न)
1	2	3	4	5	6	7
			DAUSA	8		10592
			SIKRAI	9		11916
				71		**94004**
13	DHOLPUR	DHOLPUR	DHOLPUR	5		6620
			BASEDI	5		6620
			BADI	2		2648
			RAJAKHERA	12		15888
				24		**31776**
14	DUNGARPUR	DUNGARPUR	SAGWARA	15		19860
			SIMALWARA	4		5296
			BICHHIWARA	3		3972
			DUNGARPUR	3		3972
			ASPUR	5		6620
				30		**39720**
15	HANUMANGARH	HANUMANGARH	TIBBI	3		3972
				3		**3972**
16	GANGANAGAR	GANGANAGAR	RAISINGHNAGAR	60	229	303196
		Based on Number of villages	SRIKARANPUR	28	144	190656
			SADULSAHAR	21	82	108568
			GANGANAGAR	27	92	121808
			SURATGARH	28	73	96652
			PADAMPUR	36	99	131076
			ANOOPGARH	57	154	203896
			GHADSAN & (VIJAY NAGAR)	90	252	333648
				347	**1125**	**1489500**
17	JAIPUR	JAIPUR RURAL	BASSI	6		7944
			SANGANER	9		11916
			PHAGI	40		52960
			SAMBHAR	70		92680
			DUDU	68		90032
			AMER	17		22508
			JAMWARAMGARH	20		26480
			VIRATNAGAR	21		27804
			KOTPUTLI	19		25156
			CHAKSU	45		59580
			SHAHPURA	20		26480
				335		**443540**
		JAIPUR CITY	JHOTWARA	5		6620
				5		**6620**
19	JALORE	JALORE	AHORE	8		10592
			JALORE	2		2648
			SAYLA	3		3972
				13		**17212**
20	JHALAWAR	JHALAWAR	JHALRAPATAN	22		29128
			KHANPUR	12		15888
			DAG	11		14564

क.सं.	जिला	कोषालय	पंचायत समिति	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	ग्रामों की संख्या	2515-197-(09)-[03]-02-मजदूरी (आयोजना भिन्न)
1	2	3	4	5	6	7
			PIDAWA	23		30452
			BAKANI	8		10592
			MANOHARTHANA	4		5296
				80		**105920**
21	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU	45		59580
			ALSISAR	91		120484
			BUHANA	124		164176
			KHETRI	53		70172
			UDAIPURWATI	71		94004
			NAWALGARH	89		117836
			CHIDAWA	25		33100
			SURAJGARH	122		161528
				620		**820880**
22	JOHDPUR	JOHDPUR CITY	MANDORE	0		0
			LUNI	9		11916
				9		**11916**
		JOHDPUR RURAL	BILADA	5		6620
			ONSIA	323		427652
			BAORI	115		152260
			PHALODI	277		366748
			BAAP	106		140344
			BALESAR	0		0
			SHERGARH	333		440892
			BHOPALGARH	90		119160
				1249		**1653676**
23	KARAULI	KARAULI	HINDAUN	72		95328
			KARAULI	81		107244
			SAPOTARA	30		39720
			TODABHIM	23		30452
			NADOTI	10		13240
				216		**285984**
24	KOTA	KOTA	LADPURA	10		13240
			CHECHAT (KHERABAD)	0		0
			SANGOD	0		0
			SULTANPUR	13		17212
			ITAWA	7		9268
				30		**39720**
25	NAGAUR	NAGAUR	DEEDWANA	62		82088
			LADNUN	12		15888
			KUCHAMAN	108		142992
			NAGAUR	92		121808
			MUNDWA	66		87384
			JAYAL	10		13240
			MAKRANA	57		75468
			PARBATSAR	142		188008
			DEGANA	18		23832
			MERTA	1		1324
			RIYA	21		27804

क.सं.	जिला	कोषालय	पंचायत समिति	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	ग्रामों की संख्या	2515-197-(09)-[03]-02-मजदूरी (आयोजना भिन्न)
1	2	3	4	5	6	7
				589		**779836**
26	PALI	PALI	BALI	60		79440
			SUMERPUR	30		39720
			KHARCHI (MR. JUCTION)	12		15888
			RANI STATION	22		29128
			DESURI	32		42368
			JAITARAN	31		41044
			RAIPUR	14		18536
			SOJAT	10		13240
			PALI	3		3972
			ROHAT	1		1324
				215		**284660**
27	RAJSAMAND	RAJSAMAND	RAJSAMAND	8		10592
			KUMBHALGARH	3		3972
			RELMAGRA	12		15888
			AMET	4		5296
			DEOGARH	10		13240
			KHAMNORE	57		75468
			BHIM	10		13240
				104		**137696**
28	SAWAI MADHOP	SAWAI MADHOPUR	GANGAPUR	18		23832
			SAWAI MADHOPUR	14		18536
			KHANDAR	17		22508
			BONLI	22		29128
			BAMANWAS	8		10592
				79		**104596**
29	SIKAR	SIKAR	LAXMANGARH	69		91356
			FATEHPUR	67		88708
			PIPRALI	23		30452
			DHOND	20		26480
			DANTARAMGARH	13		17212
			SRIMADHOPUR	58		76792
			KHANDELA	127		168148
			NEEM KA THANA	42		55608
				419		**554756**
30	SIROHI	SIROHI	PINDWARA	19		25156
			SHIVGANJ	9		11916
			REODAR	33		43692
			ABUROAD	7		9268
			SIROHI	14		18536
				82		**108568**
31	TONK	TONK	TONK	40		52960
			MALPURA	4		5296
			NIWAI	18		23832
			DEOLI	4		5296
			UNIYARA	11		14564
			TODARAISINGH	1		1324

क्र.सं.	जिला	कोषालय	पंचायत समिति	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	ग्रामों की संख्या	2515-197-(09)-[03]-02-मजदूरी (आयोजना भिन्न)
1	2	3	4	5	6	7
				78		**103272**
32	UDAIPUR	UDAIPUR	GIRWA	17		22508
			BADGAON	17		22508
			KOTRA	5		6620
			LASADIYA	2		2648
			SALUMBAR	12		15888
			SARADA	15		19860
			MAVLI	33		43692
			KHERWARA	18		23832
			BHINDER	16		21184
			GONGUDA	12		15888
			JHADOL	16		21184
				163		**215812**
33	PRATAPGARH	PRATAPGARH	ARNOD	13		17212
			CHHOTI SADRI	10		13240
			DHARIYAWAD	4		5296
			PIPALKHUNT	5		6620
			PRATAPGARH	11		14564
				43		**56932**
			Total	**6316**		**9392456**

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग0)

कमांक :-एफ4 ( )पराविं/पीसी/जजयो/2011/248 जयपुर,दिनांक 01.03.13

बैठक कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में जनता जल योजनाओं के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा हेतु दिनांक 26.02.2013 को प्रातः 10.00 बजे उनके कक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसमें संलग्न सूची में वर्णित अधिकारी उपस्थित हुये। बैठक में ऐजेण्डावार चर्चा कर निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- **माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के पारित अन्तरिम आदेश की पालना में योजनान्तर्गत कार्यरत अंशकालीन पम्पचालको को 50 प्रतिशत प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दिये जाने एवं इनको समय पर मानदेय भुगतान पर चर्चा।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में एस.एल.पी. न0 3517/2013 के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 18.02.2013 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा " In meantime, there shall be Stay as prayed for, subject to petitioners ensuring payment of at least 50% of the current minimum wages in favour of the respondents No. 1 to 5 with effect from 01.02.2013 " एवं

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में दायर अवमानना याचिका सख्या 1481/2012 में दिनांक 19.02.2013 को माननीय न्यायालय द्वारा "At the very outset, the learned counsel for the respondents has submitted that the process in respect of payment of wages to the members of petitioner Union has already been started and is likely to be completed very soor... futher, he submits that the payment of wages to members of the petitioner Union shall be made within 15 days. Put up on 5.3.2013 at 10.30 AM along with connected matter." आदेश पारित किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की पालना में जनता जल योजनाओं में कार्यरत अंशकालिन पम्प चालकों को दिनांक 1 फरवरी 2013 से प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना है, तथा दिनांक 19.2.13 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार मजदूरी के भुगतान की कार्यवाही करा कर दिनांक 5 मार्च 2013 तक को पालना प्रस्तुत करने के आदेश दिये है।

उक्तानुसार माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना के क्रम में 1 फरवरी 2013 से योजनान्तर्गत वर्तमान में देय मानदेय राशि 1000/– प्रतिमाह के अतिरिक्त दिनांक 1 फरवरी 2013 से प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर का 50 प्रतिशत राशि के आधार पर देय राशि का भुगतान करने पर फरवरी माह हेतु राशि रूपये 93.93 लाख, तथा मार्च माह हेतु राशि रूपये 111.59 लाख का राज्य मद में अतिरिक्त भार पडेगा।

शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज द्वारा अवगत कराया कि माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालना में अंशकालिन पम्प चालकों को प्रति व्यक्ति प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर का 50 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की सहमति एवं उक्तानुसार देय राशि का भुगतान करने के क्रम में फरवरी माह हेतु राशि रूपये 93.93 लाख, तथा मार्च माह हेतु राशि रूपये 111.59 लाख कुल राशि रूपये 205.52 का मांग संख्या 41 मद 2515–197–(09)– (03)–02 मजदूरी (आयोजना भिन्न) मद में अतिरिक्त प्रावधान की सहमति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई थी जिस पर फरवरी माह हेतु आवश्यक राशि रूपये 93.93 लाख, की सहमति प्राप्त हो गई है। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश की पालना में आज ही आदेश प्रसारित करावे। पंचायती राज विभाग अंशकालीन श्रमिको को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

(कार्यवाही:– पंचायती राज विभाग)

शासन सचिव एवं आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगानगर में कार्मिको को भुगतान स्रोत्र की संख्या के अनुसार नहीं वरन उस स्रोत्र पर आधारित गांवों की संख्या के अनुसार किये जाने का निर्णय नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 20.12.2005 में लिया गया था, तदनुसार जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अनुसार ही पंचायती राज विभाग भी जिला गंगानगर में 347 प्रतिस्रोत्र के स्थान पर 1125 प्रतिग्राम के आधार पर मानदेय का भुगतान कर रहा है। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश के परिपेक्ष्य में इस बारे में अपने स्तर पर समीक्षा कर तदनुसार निर्णय ले सकता है।

(कार्यवाही:– जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग)

❖ **विधुत प्रभार हेतु राज्य मद से पूर्ण राशि आवंटन के उपरान्त संचालित/बंद योजनाओं के भुगतान के संबंध में चर्चा।**

जनता जल योजनाओं के कालान्तर में बन्द स्रोत्रों तथा पीने योग्य ना होने के स्रोत्रो के बारे में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग स्तर पर समीक्षा

कराकर तदनुसार उन विद्युत संबंधों को विच्छेद करने के बारे में निर्णय लिया गया।

चर्चा के दौरान यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि पेयजल योजनाओं के अधिकांश विद्युत संबंध जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग तथा कुछ पंचायती राज संस्थाओं के नाम से है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से केवल जनता जल योजनाओं की विद्युत व्यय की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, परन्तु पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर जनता जल योजनाओं की विद्युत विभाग के पास नामजद सूची नही होने के कारण बकाया विद्युत देयता में विसंगति की स्थिति है। चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जनता जल योजनाओ की संख्या के बारे में तथाकथित विसंगति न समझकर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा दी गई नामजद सूची को ही अधिकृत माना जा कर तदनुसार जनता जल योजना के जो विद्युत संबंध अभी भी जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के नाम चल रहे है उन्हें पंचायती राज संस्थाओ के नाम करवाने की कार्यवाही करावे।

(कार्यवाही:– ऊर्जा विभाग व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग)

- **योजना के सघन पर्यवेक्षण एवं मोनिटरिंग हेतु स्टॉफ आदि व्यवस्था पर चर्चा।**

शासन सचिव एवं आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में योजना के पर्यवक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर /जिला स्तर पर कोई चिन्हित स्टाफ उपलब्ध नहीं है क्योकि उक्त योजना के हस्तान्तरण के साथ जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा स्टाफ हस्तान्तरित नहीं किया है।

वित्त विभाग द्वारा भी इन योजनाओ के संचालन हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में सृजित पद समाप्त कर पंचायत राज विभाग में सृजन कराने हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे जिसके संबंध में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सूचना चाही गई थी जो विभाग को अप्राप्त होने के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया जा सका है। संचालित जनता जल योजनाओं की संख्या के आधार पर 31 जिलों में 221 एवं राज्य स्तर पर 20 नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता होगी। इस क्रम में निर्णय लिया गया कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग इस बारे में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराये।

मंत्रीमण्डल की आज्ञा अनुसार "सिंगल सोर्स ग्रामीण जल योजनाओं पंचायती राज संस्थाओं को संधारण के लिए सौपे जानी है " जिसकी पालना में प्रथम चरण में यह व्यवस्था 2 जिलों (जिला अलवर एवं उदयपुर) में पायलेट बेसिस पर लागू की जानी है। यह व्यवस्था सौंपे जाने के पूर्व पंचायती राज संस्थाओ के साथ एक राज्य स्तरीय सलाह मशवरा किये जाने का निर्णय लिया गया था जो प्रकियाधीन है। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि दिनांक 18

अप्रैल 2013 को इस संदर्भ में कार्यशाला आयोजन किया जाये, जिसमें जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंचों की भागीदारी के साथ तथा इस विषय में अनुभवी स्वयं सेवी संस्थाएं, गुजरात वासमों मॉडल, चूरू आपणी योजना मॉडल तथा अन्य उपलब्ध सफल मॉडलों पर भी चर्चा हो सके, जिससे पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के विचार जानकर तदनुसार समुचित निर्णय लिया जावे।

(कार्यवाही:– जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

भवदीय,

(के0के0 शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.)

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जन स्वा. अभि. विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
10. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
12. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
13. मुख्य अभियन्ता (ओ.एण्डएम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
14. उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग।
15. श्री वेद प्रकाश,वरिष्ट सलाहकार, यूनिसेफ, राजस्थान।
16. सहायक विधि परामर्शी, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
17. प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट)

(४०) प्रोग्रामर

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.13 (192)पराविं / विधि / अव. / 12 /   जयपुर,दिनांक : 26.02.2013

:: आदेश ::

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार की गई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं जनता जल योजनाओं के रूप मे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है।

जनता जल योजनाओं में कार्यरत 17 श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी दिलाने हेतु न्यायालय प्राधिकारी न्यूनतम वेतन सीकर में प्रकरण संख्या एम.डब्ल्यू. 3/06 दायर किया जिसमें न्यायालय प्राधिकारी न्यूनतम वेतन सीकर ने दिनांक 9.10.07 को पृथक–पृथक आदेशों द्वारा न्यूनतम वेतन दिये जाने हेतु आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में पृथक–पृथक सिविल रिट याचिकाएं दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.1.12 को आदेश पारित करते हुये प्राधिकारी न्यूनतम वेतन सीकर का आदेश दिनांक 9.10.07 बहाल रखते हुये न्यूनतम वेतन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 वर्ष पूर्व की बजाय 6 माह पूर्व से भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में पृथक–पृथक डी.बी.सिविल स्पेशल अपीलें प्रस्तुत की गई जो दिनांक 6.9.12 के आदेश से खारीज कर दी गई।

डी.बी. के उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. संख्या 3517/2013 दायर की गई, जिसमें दिनांक 18.2.13 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के डी.बी. के आदेश दिनांक 6.9.12 को स्टे करते हुये रेसपोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 को 1 फरवरी 2013 से न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत राशि भुगतान करने के आदेश दिये है।

इसी दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में एक सिविल रिट याचिका संख्या 15098/2012 प्रदेश जनता जल योजना श्रमिक यूनियन द्वारा दायर की गई है, जिसमें दिनांक 5.11.12 को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करते हुये उच्च न्यायालय के डी.बी.सिविल स्पेशल अपील के आदेश दिनांक 6.9.12 के अनुसार श्रमिक यूनियन के सदस्यो को आगामी वेतन दिवस से न्यूनतम वेतन के आदेश देते हुये एरियर की राशि 3 माह में भुगतान करने के आदेश दिये गये है।

उक्त आदेश की पालना नही होने पर प्रदेश जनता जल योजना श्रमिक यूनियन ने अवमानना याचिका संख्या 1481/12 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 19.2.13 को राज्य सरकार द्वारा सभी संबंधित श्रमिकों को उन्हें दिये जाने वाले भुगतान दिनांक 5.3.13 तक किये जाने का आश्वासन दिया गया है। इसी दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील दिनांक 6.9.12 को स्टे करने एवं श्रमिकों को 1 फरवरी 2013 से न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत राशि भुगतान करने का अन्तरिम आदेश पारित किये जाने से माननीय उच्च न्यायालय जयपुर

पीठ में विचाराधीन अवमानना याचिका में उक्तानुसार जनता जल योजना में कार्यरत प्रदेश जनता जल योजना कर्मचारी संघ के समस्त अंशकालीन पम्प चालको को दिनांक 1.2.13 से प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश पारित किये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उक्त निर्देशों की पालना में न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत भुगतान किये जाने की पालना रिपोर्ट दिनांक 5.3.13 को प्रस्तुत की जानी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशों की पालना में जनता जल योजनाओ में कार्यरत समस्त अंशकालीन श्रमिको (पम्प चालक) को वर्तमान में देय पारिश्रमिक 1000/- प्रतिमाह प्रतिस्रोत्र के स्थान पर माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एल.पी. संख्या 3517/2013 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन दिनांक 1 फरवरी 2013 से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 166 प्रतिदिन की 50 प्रतिशत राशि रूपये 83 प्रतिदिन के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृती प्रदान की जाती है।

अतः दिनांक 1.2.13 से योजनान्तर्गत कार्यरत अंशकालीन श्रमिको (पम्प चालक) को दी जा रही पारिश्रमिक राशि 1000/- प्रतिमाह प्रतिस्रोत्र के स्थान पर अब वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि 166 प्रतिदिन की 50 प्रतिशत राशि रूपये 83 प्रतिदिन (Rs. Eighty three per day) के आधार पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जावे।

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, वित्त विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
9. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
10. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त।
11. जिला प्रमुख, जिला परिषद समस्त।
12. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
13. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
14. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।
15. प्रधान, पंचायत समिति समस्त।
16. सहायक विधि परामर्शी, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
17. सम्पादक, राजस्थान विकास, मुख्यालय।
18. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
19. प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपविधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.4(233)वित्त–1(1)आ.व्यय/2012/ जयपुर, दिनांक : 19.12.2012

संबधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या – 528 /2012–13)

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं के लिए जनता जल योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की राशि का पंचायत समितियों के पी.डी.खाता में हस्तान्तरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 ( ) पराविं/पी.सी./ज.ज.यो. बजट/2011-12/1704 दि0 19.12.2012 मे अंकित शर्तो एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रू. 3083.47 /–(अक्षरे राशि रू. तीस करोड तिरासी लाख सैंतालिस हजार मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे :

–व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–

बजट मद
मांग संख्या – 41
2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
197– ब्लॉक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(09)– सदर्थ सहायता
(03)– जनता जल योजनान्तर्गत सहायता
02– मजदूरी — राशि रूपये 347.72 लाख
19 – विद्युत प्रभार एवं जल व्यय — राशि रूपये 2537.79 लाख
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टिनेंस) — राशि रूपये 197.96 लाख
(आयोजना भिन्न) — (संलग्न सारणी के अनुसार)

कुल योग – राशि रूपये 3083.47 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भवदीय
19.12.12
(सुधीर शर्मा)
संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–
1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. शासन उपसचिव, वित्त (व्यय 5) विभाग।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)

D:\Drive D Data\Project\JJY Yojana\B.L.JJY.doc

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 4 ( )पराविं / पी.सी. / ज.ज.यो. बजट / 11–12 / 1704 जयपुर दिनांक 19/12/12

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 14 /2012–13)

पंचायत समितियों के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में जनता जल योजनान्तर्गत कार्यरत अंशकालीन श्रमिकों (पम्प चालकों) को पारिश्रमिक भुगतान, योजनाओं के विद्युत बिलों के भुगतान एवं अनुरक्षण व मरम्मत हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि रूपये 3083.47 लाख (अक्षरे रूपये तीस करोड़ तिरासी लाख सैंतालीस हजार मात्र) संलग्न सारणी अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकित राशि हस्तान्तरित करने की निम्नांकित शर्तों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. उक्त राशि चालू वित्तीय वर्ष की मदवार दिनांक 31.3.12 तक की आवश्यकता एवं दिनांक 1.4.2011 से बकाया विद्युत प्रभार देयता (विलम्ब भुगतान सरचार्ज को छोड़कर) के आधार पर आंकलन कर जारी की जा रही है।
2. जनता जल योजनाओं के अन्तर्गत आगामी मांग विवरण के साथ गत वर्षों में प्राप्त राजस्व राशि एवं उसके उपयोग की स्थिति स्पष्ट करनी होगी ।

इस राशि का विकलित मद निम्न प्रकार है:–

मांग संख्या 41
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
197– ब्लॉक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(09)– स्वच्छ सहायता
(03)– जनता जल योजनान्तर्गत संधारण
02 मजदूरी — राशि रूपये 347.72 लाख
19 – विद्युत प्रभार एवं जल व्यय — राशि रूपये 2537.79 लाख
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टिनेंस) — राशि रूपये 197.96 लाख
(आयोजना भिन्न) — (संलग्न सारणी के अनुसार)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 331200816 दिनांक 03.12.12 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि को संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खाता में हस्तान्तरण के राज्यादेश जारी करने का श्रम करावें
3. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय 5) विभाग राजस्थान जयपुर ।
4. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पंराज विभाग, जयपुर।
5. निजि सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
7. मुख्य / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / लेखाधिकारी जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (संबंधित) को भेजकर निर्देश है कि आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें
9. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. बजट पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.)

जनता जल योजनाओ की राशि का कोषालयवार आवंटन दिनांक 17.12.12

क.सं.	कोषालय	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	2515-197-(09)-[03] -19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	कुल योग राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	AJMER	38	175000	391970	123000	689970
2	BEWAR	15	60000	135300	44500	239800
3	ALWAR	208	895000	17299920	647500	18842420
4	BARAN	56	223000	1854990	167500	2245490
5	BANSWARA	36	135000	308390	104500	547890
6	BARMER	409	1435000	3276610	1151500	5863110
7	BHARATPUR	202	783000	9071930	596500	10451430
8	BHILWARA	243	987000	4333720	734500	6055220
9	BUNDI	68	295000	2272370	212500	2779870
10	CHITTORGARH	162	1039000	3781530	632500	5453030
11	CHURU	75	595000	4341950	336000	5272950
12	DAUSA	71	283000	4395090	212500	4890590
13	DHOLPUR	24	55000	1377460	56500	1488960
14	DUNGARPUR	30	39000	106400	59500	204900
15	HANUMANGARH	3	12000	27120	9000	48120
16	GANGANAGAR	347	8622000	13859330	1041000	23522330
17	JAIPUR RURAL	335	1819000	4005600	1184500	7009100
18	JAIPUR CITY	5	20000	45100	15000	80100
19	JALORE	13	51000	650320	38500	739820
20	JHALAWAR	80	319000	3974350	239500	4532850
21	JHUNJHUNU	620	2282000	8336750	1874500	12493250
22	JOHDPUR CITY	9	11000	31860	18000	60860
23	JOHDPUR RURAL	1249	7035000	73428410	4511500	84974910
24	KARAULI	216	1647000	14642040	941500	17230540
25	KOTA	30	55000	1817200	65500	1937700
26	NAGAUR	589	2491000	37649410	1817500	41957910
27	PALI	215	971000	6959400	686500	8616900
28	RAJSAMAND	104	439000	1197010	320500	1956510
29	SAWAI MADHOPUR	79	315000	8261260	236500	8812760
30	SIKAR	419	0	14957010	539500	15496510
31	SIROHI	82	327000	2235430	245500	2807930
32	TONK	78	279000	4237270	221500	4737770
33	UDAIPUR	163	755000	3656720	526500	4938220
34	PRATAPGARH	43	323000	859780	184500	1367280
		6316	34772000	253779000	19796000	308347000

जनता जल योजनाओ की राशि का जिलेवार/ पंचायत समितिवार आवंटन दिनांक 17.12.12

क.सं.	जिला	कोषालय	पंचायत समिति	जनता जल योजनाओं की संख्या 30.6.12	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	2515-197-(09)-[03] -19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	कुल योग राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AJMER	AJMER	SRINAGAR	3	20000	43470	12000	75470
			PISANGAN	10	64000	139500	39000	242500
			BHINAI	15	52000	118800	42000	212800
			KISHANGARH	5	20000	45100	15000	80100
			ARAIN	5	19000	45100	15000	79100
				38	**175000**	**391970**	**123000**	**689970**
		BEWAR	JAWAJA	4	24000	52560	14500	91060
			MASUDA	11	36000	82740	30000	148740
				15	**60000**	**135300**	**44500**	**239800**
2	ALWAR	ALWAR	KISHANGARHBAS	19	0	162260	21000	183260
			KOTKASIM	25	108000	1955800	78000	2141800
			RAJGARH	2	8000	18030	6000	32030
			UMREN	10	56000	971000	36000	1063000
			LAXMANGARH	2	8000	347030	6000	361030
			TIJARA	21	84000	362340	63000	509340
			KATHUMAR	2	8000	93030	6000	107030
			MUNDAWAR	45	248000	8801350	168000	9217350
			RAMGARH	16	72000	844740	51000	967740
			BEHROR	12	48000	1447180	36000	1531180
			NEEMRANA	8	32000	195120	24000	251120
			BANSOOR	8	72000	973320	39000	1084320
			THANGAZI	35	140000	1095600	105000	1340600
			RENI	3	11000	33120	8500	52620
				208	**895000**	**17299920**	**647500**	**18842420**
3	BARAN	BARAN	ANTA	14	56000	134210	42000	232210
			ATRU	6	24000	769090	18000	811090
			SHAHBAD	18	72000	162270	54000	288270
			CHHIPABADOD	8	32000	72120	24000	128120
			CHHABRA	7	28000	63180	21000	112180
			KISHANGANJ	3	11000	654120	8500	673620
				56	**223000**	**1854990**	**167500**	**2245490**
4	BANSWARA	BANSWARA	GADHI	3	12000	27120	9000	48120
			KUSAHLGARH	1	4000	9040	3000	16040
			SAJJANGARH	1	4000	9040	3000	16040
			BAGIDORA	7	28000	63180	21000	112180
			BHUKHIYA/ ANANDPURI	5	20000	45100	15000	80100
			GHATOL	12	40000	91780	33000	164780
			CHHOTI SARVAN	1	4000	9040	3000	16040
			BANSWARA	6	23000	54090	17500	94590
				36	**135000**	**308390**	**104500**	**547890**
5	BARMER	BARMER	SIWANA	21	92000	205740	66000	363740
			SHIV	4	16000	36060	12000	64060
			BALOTARA	37	36000	103680	69000	208680
			CHOUHTAN	124	391000	920410	362500	1673910
			DHORIMANNA	120	576000	1278900	396000	2250900
			BARMER	83	324000	731820	246000	1301820
			SINDHARI	20	0	0	0	0
				409	**1435000**	**3276610**	**1151500**	**5863110**
6	BHARATPUR	BHARATPUR	DEEG	8	32000	96120	24000	152120

			NAGAR PAHADI	3	12000	57120	9000	78120
			KAMAN	47	188000	2750780	141000	3079780
			BAIR	22	88000	493330	66000	647330
			BAYANA	43	164000	1830220	126000	2120220
			ROOPWAS	16	64000	144240	48000	256240
			NADBAI	40	144000	1329750	114000	1587750
			SEWAR	18	72000	2177270	54000	2303270
			KUMHER	5	19000	193100	14500	226600
				202	**783000**	**9071930**	**596500**	**10451430**
7	BHILWARA	BHILWARA	MANDALGARH	29	116000	1136460	87000	1339460
			SHAHPURA	23	84000	190920	66000	340920
			SUWANA	34	136000	671510	102000	909510
			MANDAL	41	172000	386040	126000	684040
			ASIND	20	80000	359300	60000	499300
			HURDA	9	36000	81160	27000	144160
			BANEDA	18	72000	162270	54000	288270
			JAHAJPUR	11	44000	99240	33000	176240
			RAIPUR	20	80000	180300	60000	320300
			KOTRI	25	116000	949300	81000	1146300
			SAHADA	13	51000	117220	38500	206720
				243	**987000**	**4333720**	**734500**	**6055220**
9	BUNDI	BUNDI	TALEDA	14	88000	191910	54000	333910
			HINDOLI	10	40000	1700150	30000	1770150
			NAINWA	11	44000	99240	33000	176240
			KESHORAIPATAN	33	123000	281070	95500	499570
			BUNDI	0	0	0	0	0
				68	**295000**	**2272370**	**212500**	**2779870**
10	CHITTORGARH	CHITTORGARH	BENGU	10	64000	139425	39000	242425
			CHITTORGARH	32	216000	1465155	129000	1810155
			RASHMI	14	56000	126210	42000	224210
			KAPASAN	8	24000	79720	21000	124720
			NIMBAHEDA	51	444000	1060540	243000	1747540
			BHADESAR	8	40000	341620	27000	408620
			DUNGLA	8	32000	92120	24000	148120
			BHAINSROADGARH	6	32000	70540	21000	123540
			BADI SADARI	9	68000	166860	39000	273860
			BHOPALSAGAR	3	12000	82120	9000	103120
			GANGRAR	13	51000	157220	38500	246720
				162	**1039000**	**3781530**	**632500**	**5453030**
11	CHURU	CHURU	RATANGARH	38	312000	2073070	174000	2559070
			SARDAR SAHAR	14	144000	1586960	75000	1805960
			CHURU	14	104000	376760	60000	540760
			SUJANGARH	9	35000	305160	27000	367160
				75	**595000**	**4341950**	**336000**	**5272950**
12	DAUSA	DAUSA	MAHUWA	30	120000	270450	90000	480450
			BANDIKUI	8	32000	959120	24000	1015120
			LALSOT	16	64000	2257240	48000	2369240
			DAUSA	8	32000	257120	24000	313120
			SIKRAI	9	35000	651160	26500	712660
				71	**283000**	**4395090**	**212500**	**4890590**
13	DHOLPUR	DHOLPUR	DHOLPUR	5	4000	338300	9000	351300
			BASEDI	5	4000	119300	9000	132300
			BADI	2	0	80680	3000	83680
			RAJAKHERA	12	47000	839180	35500	921680
				24	**55000**	**1377460**	**56500**	**1488960**
14	DUNGARPUR	DUNGARPUR	SAGWARA	15	27000	76020	39000	142020
			SIMALWARA	4	0	3260	6000	9260

			BICHHIWARA	3	0	0	3000	3000
			DUNGARPUR	3	12000	27120	9000	48120
			ASPUR	5	0	0	2500	2500
				30	**39000**	**106400**	**59500**	**204900**
15	HANUMANGARH	HANUMANGARH	TIBBI	3	12000	27120	9000	48120
				3	**12000**	**27120**	**9000**	**48120**
16	GANGANAGAR	GANGANAGAR	RAISINGHNAGAR	60	1903000	1937900	180000	4020900
			SRIKARANPUR	28	1334000	622420	84000	2040420
			SADULSAHAR	21	688000	2051340	63000	2802340
			GANGANAGAR	27	724000	647480	81000	1452480
			SURATGARH	28	482000	1809420	84000	2375420
			PADAMPUR	36	682000	1393540	108000	2183540
			ANOOPGARH	57	936000	2740480	147000	3823480
			GHADSAN & (VIJAY NAGAR)	90	1873000	2656750	294000	4823750
				347	**8622000**	**13859330**	**1041000**	**23522330**
17	JAIPUR	JAIPUR RURAL	BASSI	6	24000	54090	18000	96090
			SANGANER	9	36000	81160	27000	144160
			PHAGI	40	352000	754800	192000	1298800
			SAMBHAR	70	288000	647500	213000	1148500
			DUDU	68	384000	842970	246000	1472970
			AMER	17	68000	153280	51000	272280
			JAMWARAMGARH	20	80000	180300	60000	320300
			VIRATNAGAR	21	108000	238590	72000	418590
			KOTPUTLI	19	100000	220560	66000	386560
			CHAKSU	45	300000	652050	180000	1132050
			SHAHPURA	20	79000	180300	59500	318800
				335	**1819000**	**4005600**	**1184500**	**7009100**
		JAIPUR CITY	JHOTWARA	5	20000	45100	15000	80100
				5	**20000**	**45100**	**15000**	**80100**
19	JALORE	JALORE	AHORE	8	32000	72120	24000	128120
			JALORE	2	8000	18080	6000	32080
			SAYLA	3	11000	560120	8500	579620
				13	**51000**	**650320**	**38500**	**739820**
20	JHALAWAR	JHALAWAR	JHALRAPATAN	22	88000	1300330	66000	1454330
			KHANPUR	12	48000	721180	36000	805180
			DAG	11	44000	387240	33000	464240
			PIDAWA	23	92000	537420	69000	698420
			BAKANI	8	32000	281120	24000	337120
			MANOHARTHANA	4	15000	747060	11500	773560
				80	**319000**	**3974350**	**239500**	**4532850**
21	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU	45	84000	473600	99000	656600
			ALSISAR	91	263000	1164590	324000	1751590
			BUHANA	124	488000	1331460	369000	2188460
			KHETRI	53	212000	2157820	159000	2528820
			UDAIPURWATI	71	284000	640140	213000	1137140
			NAWALGARH	89	356000	802360	267000	1425360
			CHIDAWA	25	116000	378300	81000	575300
			SURAJGARH	122	479000	1388480	362500	2229980
				620	**2282000**	**8336750**	**1874500**	**12493250**
22	JOHDPUR	JOHDPUR CITY	MANDORE	0	0	0	0	0
			LUNI	9	11000	31860	18000	60860
				9	**11000**	**31860**	**18000**	**60860**
		JOHDPUR RURAL	BILADA	5	0	0	0	0
			ONSIA	323	7000	29009120	495000	29511120
			BAORI	115	500000	2048600	372000	2920600
			PHALODI	277	2372000	12682380	1305000	16359380

			BAAP	106	0	3135440	147000	3282440
			BALESAR	0	0	1805550	0	1805550
			SHERGARH	333	3076000	8815720	1652500	13544220
			BHOPALGARH	90	1080000	15931600	540000	17551600
				1249	**7035000**	**73428410**	**4511500**	**84974910**
23	KARAULI	KARAULI	HINDAUN	72	656000	2544680	354000	3554680
			KARAULI	81	684000	7287340	378000	8349340
			SAPOTARA	30	176000	1215500	111000	1502500
			TODABHIM	23	84000	2740920	66000	2890920
			NADOTI	10	47000	853600	32500	933100
				216	**1647000**	**14642040**	**941500**	**17230540**
24	KOTA	KOTA	LADPURA	10	11000	123000	36000	170000
			CHECHAT (KHERABAD)	0	0	0	0	0
			SANGOD	0	0	0	0	0
			SULTANPUR	13	34000	511620	6000	551620
			ITAWA	7	10000	1182580	23500	1216080
				30	**55000**	**1817200**	**65500**	**1937700**
25	NAGAUR	NAGAUR	DEEDWANA	62	296000	13648430	162000	14106430
			LADNUN	12	56000	124680	39000	219680
			KUCHAMAN	108	504000	5809520	351000	6664520
			NAGAUR	92	96000	7319980	174000	7589980
			MUNDWA	66	64000	335440	123000	522440
			JAYAL	10	0	0	0	0
			MAKRANA	57	228000	4627880	171000	5026880
			PARBATSAR	142	1088000	3412830	678000	5178830
			DEGANA	18	72000	1759270	54000	1885270
			MERTA	1	4000	9040	3000	16040
			RIYA	21	83000	602340	62500	747840
				589	**2491000**	**37649410**	**1817500**	**41957910**
26	PALI	PALI	BALI	60	296000	1751000	216000	2263000
			SUMERPUR	30	144000	1864800	99000	2107800
			KHARCHI (MR. JUCTION)	12	112000	811580	60000	983580
			RANI STATION	22	0	311580	18000	329580
			DESURI	32	128000	665480	96000	889480
			JAITARAN	31	164000	735640	108000	1007640
			RAIPUR	14	56000	483160	42000	581160
			SOJAT	10	40000	267200	30000	337200
			PALI	3	19000	43520	11500	74020
			ROHAT	1	12000	25440	6000	43440
				215	**971000**	**6959400**	**686500**	**8616900**
27	RAJSAMAND	RAJSAMAND	RAJSAMAND	8	32000	106120	24000	162120
			KUMBHALGARH	3	12000	37120	9000	58120
			RELMAGRA	12	56000	147680	39000	242680
			AMET	4	16000	105060	12000	133060
			DEOGARH	10	56000	123000	36000	215000
			KHAMNORE	57	228000	587880	171000	986880
			BHIM	10	39000	90150	29500	158650
				104	**439000**	**1197010**	**320500**	**1956510**
28	SAWAI MADHOP	SAWAI MADHOPUR	GANGAPUR	18	72000	3803270	54000	3929270
			SAWAI MADHOPUR	14	56000	722210	42000	820210
			KHANDAR	17	68000	2128280	51000	2247280
			BONLI	22	88000	695380	66000	849380
			BAMANWAS	8	31000	912120	23500	966620
				79	**315000**	**8261260**	**236500**	**8812760**

29	SIKAR	SIKAR	LAXMANGARH	69	0	3221460	33000	3254460
			FATEHPUR	67	0	1471880	0	1471880
			PIPRALI	23	0	1401120	39000	1440120
			DHOND	20	0	0	0	0
			DANTARAMGARH	13	0	0	0	0
			SRIMADHOPUR	58	0	2104590	285000	2389590
			KHANDELA	127	0	3580580	87000	3667580
			NEEM KA THANA	42	0	3177380	95500	3272880
				419	**0**	**14957010**	**539500**	**15496510**
30	SIROHI	SIROHI	PINDWARA	19	76000	327360	57000	460360
			SHIVGANJ	9	36000	81160	27000	144160
			REODAR	33	132000	1268520	99000	1499520
			ABUROAD	7	28000	63180	21000	112180
			SIROHI	14	55000	495210	41500	591710
				82	**327000**	**2235430**	**245500**	**2807930**
31	TONK	TONK	TONK	40	144000	2880750	114000	3138750
			MALPURA	4	16000	135760	12000	163760
			NIWAI	18	56000	376420	48000	480420
			DEOLI	4	16000	579060	12000	607060
			UNIYARA	11	44000	256240	33000	333240
			TODARAISINGH	1	3000	9040	2500	14540
				78	**279000**	**4237270**	**221500**	**4737770**
32	UDAIPUR	UDAIPUR	GIRWA	17	76000	536480	54000	666480
			BADGAON	17	68000	375480	51000	494480
			KOTRA	5	0	0	0	0
			LASADIYA	2	8000	18080	6000	32080
			SALUMBAR	12	48000	169180	36000	253180
			SARADA	15	76000	432600	51000	559600
			MAVLI	33	152000	700620	114000	966620
			KHERWARA	18	88000	324920	60000	472920
			BHINDER	16	72000	352040	50500	474540
			GONGUDA	12	104000	223280	57000	384280
			JHADOL	16	63000	524040	47000	634040
				163	**755000**	**3656720**	**526500**	**4938220**
33	PRATAPGARH	PRATAPGARH	ARNOD	13	76000	258520	47500	382020
			CHHOTI SADRI	10	40000	90200	29500	159700
			DHARIYAWAD	4	15000	36060	11500	62560
			PIPALKHUNT	5	60000	127200	30000	217200
			PRATAPGARH	11	132000	347800	66000	545800
				43	**323000**	**859780**	**184500**	**1367280**
			Total	**6316**	**34772000**	**253779000**	**19796000**	**308347000**

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4 ( )पराविं/पी.सी./जजयो बजट/11.12/ 1709 जयपुर दिनांकः- 19.12.12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद अलवर, बाडमेर, बून्दी, डूंगरपुर, जोधपुर,
कोटा, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू एवं उदयपुर।

विषयः- जनता जल योजना के अन्तर्गत मजदूरी, विद्युत एवं अनुरक्षण मद में पूर्व में आवंटित अधिक राशि को अन्य पंचायत समिति को हस्तान्तरण करने के क्रम मे।

प्रसंगः- विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क. 7430 दि. 12.6.12, क. 952 दि. 26.6.12 एवं क. 1704 दि. 19.12.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दि0 26.6.12 द्वारा जनता जल योजनान्तर्गत मजदूरी, विद्युत एवं अनुरक्षण व्यय हेतु राशि रूपये 1554.00 लाख रूपये तथा स्वीकृति दिनांक 12.6.12 द्वारा मांग संख्या-41 2515-197-(09)-[03]-12 मद में जनता जल योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान हेतु राशि रूपये 120.56 लाख रूपये कुल राशि 1674.56 लाख विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तत्समय बकाया विद्युत बिल की राशि व नियमानुसार देय अनुदान पीएचईडी से प्राप्त संचालित जनता जल योजनाओं की संख्या 6028 के आधार पर पंचायत समितिवार आवंटित किया गया था। इसी क्रम में अब विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से प्राप्त विद्युत प्रभार की बकाया देयता राशि की अद्यतन पंचायत समितिवार सूचना व पीएचईडी विभाग द्वारा संचालित जनता जल योजनाओं की नवीन संशोधित सूचना 6316 के आधार पर मदवार चालू वर्ष हेतु देय राशि व दिनांक 1.4.11 के बाद विद्युत प्रभार की पंचायत समितिवार बकाया देयता राशि तथा शेष अवधि हेतु आवश्यक अनुमानित विद्युत प्रभार की राशि को सम्मिलित करते हुये विभागीय स्वीकृति क्रमांक 1704 दि 19.12.12 द्वारा राशि रूपये 3083.47 लाख आवंटित की गई है। उक्त आवंटन में स्वीकृति क्रमांक 7430 दि0 12.6.12 एवं क्रमांक 952 दि0 26.6.12 द्वारा देय राशि से अधिक आवंटित राशि के मद का विवरण कॉलम संख्या 4, राशि कॉलम संख्या 5 में व संबंधित पंचायत समिति का नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है। उक्तानुसार संलग्न प्रपत्र के कॉलम संख्या 3 में अंकित पंचायत समिति के सम्मुख दर्शाई गई अधिक आवंटित राशि को संबंधित पंचायत समिति के पीडी खाते से आहरित कर कॉलम संख्या 6 में अंकित पंचायत समिति के संबंधित मद में उपयोग हेतु डीडी के माध्यम से 7 दिवस में आवश्यक रूप से हस्तान्तरण करने हेतु संबंधित विकास अधिकारी को पाबन्द कराते हुये पालना रिपोर्ट विभाग को दिनाक 3 जनवरी 2013 तक प्रेषित करे।

संलग्न : प्रपत्र

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. जिला कलक्टर, जिला अलवर, बाड़मेर, बून्दी, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू एवं उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय।
4. अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर, बाड़मेर, बून्दी, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू एवं उदयपुर।
5. विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति जिला अलवर, बाड़मेर, बून्दी, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू एवं उदयपुर को पालनार्थ।

अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति जिनसे पीएचईडी से प्राप्त अंतिम सूची के अनुसार आवश्यक राशि से अधिक राशि आवंटित / उपलब्ध है			पंचायत समिति जिनको पीएचईडी से प्राप्त अंतिम सूची के अनुसार अंतिम कालम 3 में अंकित पंचायत समिति से राशि हस्तान्तरित की जाती है		
		पंचायत समिति का नाम	मद का विवरण	राशि	पंचायत समिति का नाम	मद का विवरण	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALWAR	KISHANGARHBAS	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	20000	MUNDAWAR	2515-197-(09)-[03]-02 मजदूरी (आयोजना भिन्न)	20000
2	BARMER	SINDHARI	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	97000	CHOUHTAN	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	97000
		SINDHARI	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	181050	CHOUHTAN	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	181050
		SINDHARI	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	6500	CHOUHTAN	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	6500
3	BUNDI	BUNDI	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	33000	KESHORAIPATAN	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	33000
		BUNDI	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	65700	KESHORAIPATAN	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	65700
		BUNDI	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	12500	KESHORAIPATAN	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	12500
4	DUNGARPUR	BICHHIWARA ASPUR	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	4000 13000	SAGWARA	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	4000 13000
		BICHHIWARA ASPUR	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	5780 20600	SAGWARA	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	5780 20600
5	JODHPUR CITY	MANDORE	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	2864000	ONSIA	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	2864000
		MANDORE	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	5880150	ONSIA	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	5880150
		MANDORE	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	1074000	ONSIA	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	1074000
	JODHPUR RURAL	BILADA BALESAR BAAP	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	660000 273000 32000	ONSIA ONSIA ONSIA	2515-197-(09)-[03]-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	660000 273000 32000
		BILADA	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	318050	ONSIA	2515-197-(09)-[03] - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	318050
		BILADA BALESAR	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	240000 102000	ONSIA	2515-197-(09)-[03]-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	240000 102000

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति जिसमे पीएचईडी से प्राप्त अंतिम सूची के अनुसार आवश्यक राशि से अधिक राशि आवंटित / उपलब्ध है			पंचायत समिति जिसको पीएचईडी से प्राप्त अंतिम सूची के अनुसार कॉलम संख्या 3 मे वर्णित पंचायत समिति से राशि हस्तान्तरित की जानी है		
		पंचायत समिति का नाम	मद का विवरण	राशि	पंचायत समिति का नाम	मद का विवरण	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
6	KOTA	CHECHAT (KHERABAD)	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	64000	SULTANPUR	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	50000
					LADPURA		14000
		SANGOD		56000	LADPURA		31000
					ITAWA		25000
		CHECHAT (KHERABAD)	2515-197-(09)-(03) - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	131400	SULTANPUR	2515-197-(09)-(03) - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	131400
		SANGOD		29900	SULTANPUR		29900
		CHECHAT (KHERABAD)	2515-197-(09)-(03)-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	24000	SULTANPUR	2515-197-(09)-(03)-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	24000
		SANGOD		21000	SULTANPUR		21000
7	NAGAUR	JAYAL	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	152000	PARBATSAR	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	152000
		JAYAL	2515-197-(09)-(03) - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	279050	DEEDWANA	2515-197-(09)-(03) - 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय (आयोजना भिन्न)	279050
		JAYAL	2515-197-(09)-(03)-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	42000	DEEDWANA	2515-197-(09)-(03)-21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न)	42000
8	PALI	RANI STATION	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	40000	BALI	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	40000
9	SIKAR	LAXMANGARH	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	188000	SRIMADHOPUR	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	188000
		FATEHPUR	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	340000	SRIMADHOPUR	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	340000
		FATEHPUR	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	12000	PIPRALI	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	12000
		FATEHPUR	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	4000	KHANDELA	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	4000
		DHOND	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	608000	KHANDELA	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	608000
		DANTARAMGARH	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	472000	KHANDELA	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	472000
		DANTARAMGARH	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	87000	NEEM KA THANA	2515-197-(09)-(03)-02- मजदूरी (आयोजना भिन्न)	87000

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति जिसमे पीएचईडी से प्राप्त अंतिम सूची अनुसार आवश्यक राशि से अधिक राशि आवंटित / उपलब्ध है			पंचायत समिति जिसको पीएचईडी से प्राप्त अंतिम सूची के अनुसार कॉलम संख्या 3 मे वर्णित पंचायत समिति से राशि हस्तान्तरित की जानी है		
		पंचायत समिति का नाम	मद का विवरण	राशि	पंचायत समिति का नाम	मद का विवरण	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		DANTARAMGARH	2515-197-(09)-(03)-02-	237000	ALSISAR (JHUNJHUNU)	2515-197-(09)-(03)-02	237000
		DHOND DANTARAMGARH	2515-197 (09) (03) 19-	26250 1623780	SRIMADHOPUR SRIMADHOPUR	2515-197-(09)-(03) 19-	26250 1623780
		DHOND DANTARAMGARH FATEHPUR	2515-197-(09)-(03)-21-	198000 279000 33000	KHANDELA KHANDELA KHANDELA	2515-197-(09)-(03) 21	198000 279000 33000
10	[illegible]	KOTRA	2515-197 (09) (03) 02	36000	MAVLI	2515-197-(09)-(03)-02-	36000
		KOTRA	2515-197-(09)-(03) - 19-	17900	MAVLI	2515-197-(09)-(03) - 19	17900
		KOTRA	2515-197 (09)-(03) 21-	6000	MAVLI	2515-197-(09)-(03)-21-	6000
	TOTAL			16371580			16371580